कार्यालय प्रधानाचार्य : : जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज : : कानपुर।

संख्यां: 115 /एस-2/2017/छा०वि०-2 दिनांक : 16-6 ,2017

कार्यालय ज्ञाप

समस्त एम०बी०बी०एस०/डिप्लोमा इन फार्मेसी/डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन/डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के **सामान्य जाति/पिछडी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक** वर्ग छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक **सत्र - 2017-18** हेतु जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु०-2.00 लाख तक है, के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आन लाइन आवेदन वेबसाइट **http://Scholarship.up.nic.in** पर निम्न विवरण के अनुसार करना होगा तथा आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित दो-दो प्रतियों में (आवेदन पत्र की मूल प्रति व एक छाया प्रति समस्त संलग्नको/प्रपत्रो सहित) **नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति (डा० शैलेन्द्र सिंह, प्रवक्ता एनाटमी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर)** के कार्यालय में **स्वयं उपस्थित होकर अपरान्ह 3-4 बजे के मध्य** जमा करना होगा।

प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि
छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई 2017 से 01नवम्बर 2017 तक
आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन ठीक किया जाना	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसो में।
छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आवेदन फार्म समस्त संलग्नको सहित दो-दो प्रतियों में जमा करेगें	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बतम 07 नवम्बर, 2017 तक

अभ्यर्थी निर्धारित तिथि का इन्तजार नही करेगें आवेदन फार्म आन लाईन सबमिट (Submit) करने के एक सप्ताह के अन्दर अवश्य जमा करें, केवल आन लाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेगें एवं उपरोक्त **निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नको सहित स्वीकार नही किये जायेगा।** आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व छात्र/छात्रा यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है:-

1- माता/पिता/अभिभावक का निर्धारित **आय प्रमाण पत्र मूल रूप में** (तहसीलदार / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) जमा करें। माता / पिता दोनो जीवित न होने की दशा में विधिक अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। **तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण/सामान्य** निवास **प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिसका सत्यापन इन्टरनेट द्वारा किया जा सकें तथा** सत्यापन हेतु **आय/जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की नेट द्वारा सत्यापन प्रति भी अवश्य संलग्न करें।**

छात्र/छात्रा के माता/पिता अथवा संरक्षक जैसा भी लागू हो, **नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त अतिरिक्त** आय **का रू0-10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा।**

2- जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। (तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)
3- मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। (तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)
4- हाई स्कूल प्रमाण पत्र / इण्टरमीडियट अंकतालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
5- पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने की अकं तालिका की सत्यापित छाया प्रति ।
6- यदि दो कक्षाओं के बीच में गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित मूलरूप में।
7- माता-पिता अथवा अभिभावक एवं छात्र/छात्रा द्वारा 10/- रु0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलरूप में जमा करे **(प्रारूप कार्यालय में चस्पा है)।**
8- जमा की गयी शुल्क रसीद की प्रमाणित छायाप्रति।

क्रमशः........2

9- भारतीय स्टेट बैक शाखा, मेडिकल कालेज, कानपुर में खोले गये खाता की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें बैंक खाते का विवरण यथा- **नाम, खाता संख्या व आई.एफ0एस0 कोड अंकित हो, अवश्य संलग्न करें।**

10- छात्रावास में निवासित छात्र/छात्राए अपने आवेदन पत्र पर छात्रावास अधीक्षक या सहायक अधीक्षक के हस्ताक्षर व मुहर अवश्य करालें।

11- छात्र/छात्रा अपने आधार कार्ड को छात्रवृत्ति खाता संख्या से लिंक करवाकर आधार कार्ड की प्रति फार्म के साथ संलग्न करें।

12- छात्र/छात्रा अपने अभिभावक का पैनकार्ड की छायाप्रति फार्म पर अभिभावक के हस्ताक्षर मिलान हेतु अवश्य संलग्न करें एवं पैनकार्ड न होने के स्थिति में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज संलग्न करें, जिस पर अभिभावक के हस्ताक्षर अंकित हो।

13- छात्र/छात्रा आनलाईन आवेदन करने के समय यदि समस्या उत्पन्न होती है तो लिखित रूप से कार्यालय को सूचित करें। प्रकिया के बाद इस कार्यालय का कोई उत्तरदयित्व नही होगा।

14- छात्र/छात्रा आनलाईन आवेदन करते समय सभी जानकारी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। त्रुटिपूर्ण आवेदन आनलाईन ठीक किये जाने की निर्धारित तिथि के उपरान्त बगैर किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

15- पहचान पत्र, जैसे:-**आधार कार्ड, कालेज का आई0डी0 कार्ड,** राशन **कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट एवं ड्राविंग लाईसेन्स।**

16- आवेदन फार्म आनलाईन अग्रसारित किये जाने पर यदि छात्रवृत्ति छात्र/छात्रा को प्राप्त नही होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस चिकित्सा महाविद्यालय की नही होगी।

अपूर्ण एवं प्रमाण पत्र रहित अथवा निर्धारित समय पर जमा न करने की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में समस्त निर्देश वेबसाइट **http://Scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

पत्र सख्यां : 115 / तद्दिनाकं :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रचार माध्यम से छात्रों को अवगत कराने की व्यवस्था करें।
2-प्रभारी अधिकारी, सामान्य जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प संख्यक वर्ग, छात्रवृत्ति, मेडिकल कालेज, कानपुर।
3-विभागाध्यक्ष, पैथोलाजी, फार्मेसी एवं रेडियोलाजी विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4-वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5-समस्त छात्रावास अधीक्षक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
7-जिला अन्य पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
8-जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।
9-डा0 शैलेन्द्र सिंह, प्रवक्ता एनाटमी विभाग एवं नोडल अधिकारी-छात्रवृत्ति, मेडिकल कालेज, कानपुर।
10-समस्त सूचना पट (विद्यालय एवं छात्रावास), मेडिकल कालेज, कानपुर।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर